शिक्षा

अंग्रेजी पाठ

आप अंग्रेजी भाषा कक्षाओं में भाग लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे कई संगठन हैं जो अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, जिनमें तृतीयक संस्थान, माध्यमिक विद्यालय, होम ट्यूटर और सामुदायिक शिक्षा केंद्र शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए आपको शुल्क देना पड़ सकता है।

यदि आपके शरणार्थी और सुरक्षा के दावे पर कार्रवाई के दौरान आपको कार्य वीज़ा जारी किया जाता है, तो अनुमति केवल दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए दी जाती है, किसी अन्य पाठ्यक्रम के लिए नहीं।

अधिक जानकारी के लिए टर्टियरी एजुकेशन कमिशन (www.tec.org.nz पर 'ESOL students' खोज करें) या देखें इंग्लिश लैंग्वेज पार्टनर्स (www.englishlanguage.org.nz)।

प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय

न्यूज़ीलैंड में 6 से 16 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल जाना आवश्यक है। शरण चाहने वाले बच्चों को आम तौर पर एक छात्र वीजा जारी किया जाएगा।

स्वास्थ्य

न्यूज़ीलैंड में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है जो रियायती स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है। शरण चाहने वाले इसके लिए पात्र हैं।

डॉक्टर के पास जाने का खर्च आपकी उम्र, स्थान और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डॉक्टरों के पास जाना मुफ्त है।

क्लिनिक या अस्पताल में अनुवृत्ति वाली स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के लिए आपको आरएसयू से लिया पत्र जो आपकी शरणार्थी और सुरक्षा स्थिति का दावा दर्ज करने की पुष्टि करता है वह ले जाना होगा।

जरूरत पड़ने पर अस्पताल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं एक दुभाषिया प्रदान करेंगी। आपको उनसे पहले से संपर्क करना चाहिए।

निःशुल्क स्वास्थ्य सलाह के लिए कभी भी हेल्थलाइन को कॉल करें:

0800 611 116

तत्काल चिकित्सा देखभाल

आपातकालीन स्थिति में आपको अस्पताल ले जाने वाली एंबुलेंस के लिए 111 पर कॉल करें, या आप सीधे अपने घर के निकटतम अस्पताल जा सकते हैं।

कैंटरबरी (क्राइस्टचर्च सहित) समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य

फोन करें 03 364 1777 या विजिट करें

www.cph.co.nz/your-health/migrant-health/

सहायक एजेंसियां:

शरण चाहने वालों को समर्थन देने वाली कई एजेंसियां और संगठन हैं।

रिफ्यूजी काउंसिल ऑफ न्यूज़ीलैंड (न्यूज़ीलैंड की शरणार्थी परिषद)

एक राष्ट्रीय संगठन जो शरण चाहने वालों को सलाह, सूचना और सहायता प्रदान करता है।

- ईमेल: info@rc.org.nz
- वेबसाइट: www.rc.org.nz

कम्युनिटी लॉ

ऑकलैंड कम्युनिटी लॉ सेंटर कम आय वाले लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करता है।

- वेबसाइट: www.aclc.org.nz
- फोन: 09 377 9449

रिफ्यूजी रिसेटेलमेंट एंड रिसोर्स सेंटर कैंटरबरी

परामर्श प्रदान करता है, और पुनर्वास सहायता के लिए अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क करता है।

- ईमेल: cantyrefugeecouncil@gmail.com
- वेबसाइट: www.cantyrefugeecentre.org
- फोन: 03 377 2544 या 03 377 2538

क्राइस्टचर्च रिसेटेलमेंट सर्विसेज

सामाजिक कार्य समर्थन प्रदान करता है और लोगों को मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास सहायता से जोड़ता है।

- वेबसाइट: www.crs.org.nz
- फोन: 03 335 0311

हैगले कम्युनिटी कॉलेज

कैंटरबरी क्षेत्र में अंग्रेजी सीखने, शरणार्थियों, शरण चाहने वालों और प्रवासियों के लिए स्कूलों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बच्चों के लिए मुफ्त गतिविधियाँ और कक्षाएं।
वेबसाइट: www.refugeemigrant.hagley.school.nz
फोन: 03 379 3090

सिटीजंस एडवाइस ब्यूरो

निःशुल्क, गोपनीय, स्वतंत्र सलाह और जानकारी प्रदान करता है, जिससे लोगों को यह समझने में मदद मिलती है कि उनके अधिकार क्या हैं और उन्हें आवश्यक सेवाओं तक पहुँचने में मदद मिलती है।

- वेबसाइट: www.cab.org.nz

न्यूज़ीलैंड रेड क्रॉस

शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के लिए कई प्रकार की सहायता सेवाएँ प्रदान करता है जिसमें रोजगार कार्यक्रम के रास्ते शामिल हैं ।

- वेबसाइट: www.redcross.org.nz

रेनबो पाथ एनजेड

LGBTQA+ शरणार्थियों और शरण चाहने वालों को एक दूसरे से मिलाता है और इंद्रधनुष अनुकूल समर्थन सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

- ईमेल: rainbowpath@protonmail.com
- वेबसाइट: www.rainbowpathnz.com

Te Kāwanatanga o Aotearoa
New Zealand Government

NEW ZEALAND
IMMIGRATION

शरण चाहने वालों के लिए सेवाएं

क्राइस्टचर्च (Christchurch)

इस पत्रिका में उन सेवाओं और समर्थन के बारे में जानकारी है जो न्यूज़ीलैंड में शरणार्थी या संरक्षित व्यक्ति का दर्जा चाहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध हैं (जिन्हें "शरण चाहने वालों" के रूप में जाना जाता)।

MINISTRY OF BUSINESS,
INNOVATION & EMPLOYMENT
HĪKINA WHAKATUTUKI

Te Kāwanatanga o Aotearoa
New Zealand Government

न्यूज़ीलैंड में आपकी स्थिति की पुष्टि

जो लोग अपने देश लौटने से डरते हैं, वे न्यूज़ीलैंड से उन्हें शरणार्थियों या संरक्षित व्यक्तियों के रूप में पहचानने के लिए मांग कर सकते हैं। न्यूज़ीलैंड में शरणार्थी या सुरक्षा स्थिति के लिए दावा करने वाले लोग शरणार्थी और संरक्षण दावेदारों के रूप में जाने जाते हैं। आपको शरणार्थी स्थिति इकाई (आरएसयू) से एक पत्र प्राप्त होगा, जिसमें पुष्टि की गई होगी कि आपने न्यूज़ीलैंड में एक शरणार्थी और संरक्षण का दावा किया है।

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस पत्र को अपने पास रखें और जब आप अन्य सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदाताओं, और सेवा प्रदाताओं के पास जाएँ तो इसे अपने साथ ले जाएँ।

यदि आवश्यक हो तो आरएसयू इस पत्रिका में सूचीबद्ध सरकारी एजेंसियों के साथ सीधे शरणार्थी के रूप में आपकी स्थिति की पुष्टि कर सकता है। एजेंसियां आरएसयू को (09) 928 2236 पर कॉल कर सकती हैं या ईमेल करें: RSU@mbie.govt.nz

दुभाषिया सेवाएं

किसी सरकारी एजेंसी से संपर्क करते समय, या तो व्यक्तिगत रूप से या फोन पर, आप एक दुभाषिए की मदद मांग सकते हैं और सरकारी एजेंट को बता सकते हैं कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं। टेलीफ़ोन/वीडियो दुभाषिए दिन के 24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन 180 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध हैं।

आप इस सेवा का उपयोग सरकारी एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं से बात करते समय कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं: इमीग्रेशन (आप्रवासन), हेल्थ (स्वास्थ्य), इनलैंड रिवेन्यू (अंतर्देशीय राजस्व), इंटरनल अफेयर्स (आंतरिक मामले), एजुकेशन (शिक्षा), वर्क एंड इनकम (कार्य और आय), करियर सर्विसेज (व्यवसाय सेवाएं) और पुलिस।

पहचान दस्तावेज

सेवाओं तक पहुंचने के लिए आपको एक पहचान दस्तावेज़ (आईडी) की आवश्यकता हो सकती है। आमतौर पर अधिकांश संगठनों के साथ आपकी पहचान स्थापित करने के लिए एक पासपोर्ट पर्याप्त है।

पहचान प्रमाणपत्र

यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आपको एक इमीग्रेशन न्यूज़ीलैंड (आईएनजेड) शाखा से एक प्रमाण पत्र (सीओआई) प्राप्त करना होगा। जब आप वीजा के लिए आवेदन करते हैं और इसे अनुमोदित किया जाता है, तो एक सीओआई जारी किया जाता है। एक सीओआई में आपकी तस्वीर और जीवनी विवरण जैसे आपका नाम और जन्मतिथि होगा। आईएनजेड एक सीओआई में वीजा जारी कर सकता है।

अन्य एजेंसियां जैसे कि वर्क एंड इनकम और बैंक भी एक सीओआई को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करेंगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया आईएनजेड वेबसाइट पर जाएं: www.immigration.govt.nz

वीज़ा

अपने दावे की स्थिति का इंतजार करते हुए, आप अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक उपयुक्त आगंतुक, कार्य, छात्र या सीमित वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया शरणार्थी या सुरक्षा स्थिति दावेदारों के लिए E8.10 अस्थायी वीजा पर प्रासंगिक आव्रजन निर्देश देखें।

घर का पता

अधिकांश सरकारी एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं (जैसे बैंक, बिजली और इंटरनेट कंपनियों) को आपके आवासीय पते के प्रमाण की आवश्यकता होती है। यह आपको संबोधित एक आधिकारिक पत्र हो सकता है - उदाहरण के लिए, आरएसयू का पत्र जो इस बात की पुष्टि करता है कि आपने दावा किया है। यदि आपके पास अपने सही पते वाला एक आधिकारिक पत्र नहीं है, तो आप इसके लिए आरएसयू को पूछ सकते हैं।

आवास

यदि आपको आवास खोजने की आवश्यकता है, तो कई स्थानीय समाचार पत्र किराये के आवास का विज्ञापन करते हैं - जो एक "फ़्लैट" या एक साझा घर में एक कमरा हो। Trademe (www.trademe.co.nz) में किराये के आवास भी हैं। आपके स्थानीय सुपरमार्केट, लाइब्रेरी या कम्युनिटी सेंटर में एक नोटिसबोर्ड हो सकता है जहां लोग कमरे या फ़्लैटों का विज्ञापन करते हैं। रियल एस्टेट एजेंट और लैट्रिंग केंद्र आपको आवास खोजने में मदद कर सकते हैं। वे इस सेवा के लिए शुल्क लेंगे। यदि आप आवास खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वर्क एंड इनकम से संपर्क करें: www.workandincome.govt.nz

बैंक

आपको कर उद्देश्यों के लिए और वेतन और आय प्राप्त करने के लिए एक बैंक खाता खोलने की आवश्यकता होगी। अधिकांश बैंकों की आवश्यकता है:

- आईडी के दो रूप जैसे पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाण पत्र, और
- आपके पते का प्रमाण, जैसे किसी सरकारी एजेंसी या सेवा प्रदाता का पत्र (उदाहरण के लिए बिजली कंपनी)।

खाता खोलने के लिए अपने स्थानीय बैंक में जाएँ।

इनलैंड रिवेन्यू

न्यूज़ीलैंड में काम करने के लिए, या काम और आय से समर्थन प्राप्त करने के लिए, आपको अंतर्देशीय राजस्व (आईआर) से टैक्स नंबर की आवश्यकता है। आईआर नंबर प्राप्त करने के लिए IR742 फॉर्म भरें।

इस फॉर्म की एक प्रति प्राप्त करने के लिए, 0800 257 773 पर टेलीफोन करें या इसे **यहाँ** से डाउनलोड करें। इस फॉर्म के लिए वीजा, पता, फोटो पहचान पत्र और पूरी तरह कार्यात्मक न्यूज़ीलैंड बैंक खाते के प्रमाण की आवश्यकता होती है। आप फॉर्म को IRD (offshore@ird.govt.nz) को ईमेल कर सकते हैं। यदि आपके पास न्यूज़ीलैंड बैंक खाता नहीं है तो एए, न्यूज़ीलैंड पोस्ट या आईआरडी द्वारा फॉर्म सत्यापित करवाएं।

एक बार आपके दस्तावेज़ सत्यापित हो जाने के बाद आपको एक टैक्स नंबर प्राप्त होगा।

- वेबसाइट: www.ird.govt.nz
- मुफ्त फोन: 0800 377 774

रोज़गार

जिस दौरान आपके शरणार्थी और संरक्षण के दावे को संसाधित किया जा रहा है, यदि आपको कार्य वीज़ा जारी किया जाता है, तो आप न्यूज़ीलैंड में काम करने में सक्षम हैं।

वेबसाइटें

अधिकांश नौकरियों को ऑनलाइन विज्ञापित किया जाता है और कई उपयोगी वेबसाइटें हैं जहां आप क्षेत्र, प्रकार और अपने कौशल और योग्यता के अनुसार नौकरी खोज सकते हैं। कुछ लोकप्रिय वेबसाइटें हैं: www.seek.co.nz और www.trademejobs.co.nz

सरकारी एजेंसियां

करियर सर्विसेज और वर्क एंड इनकम नौकरी खोजने में मदद करने के लिए आपको व्यावहारिक सलाह की सहायता कर सकते हैं, जैसे कि कार्यशालाएं, प्रशिक्षण के अवसर, नौकरी लिस्टिंग, नौकरी खोज कौशल और एक बायोडाटा (सीवी) लिखना। उनकी वेबसाइटों पर जाएँ:

- करियर सर्विसेज: www.careers.govt.nz
- वर्क एंड इनकम: www.workandincome.govt.nz

वित्तीय सहायता

यदि आपके पास एक वैध और वर्तमान वीज़ा है, तो आप अपने शरणार्थी और सुरक्षा दावे पर कार्रवाई के दौरान वर्क एंड इनकम से आपातकालीन लाभ प्राप्त करने के पात्र हो सकते हैं।

आप जहां रहते हैं वहां की निकटतम शाखा में केस मैनेजर से मिलने का समय तय करने के लिए आपको वर्क एंड इनकम से संपर्क करना होगा।

- अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय वर्क एंड इनकम कार्यालय पर जाएँ, या उन्हें फोन करें: 0800 559 009, या उनकी वेबसाइट पर जाएँ: www.workandincome.govt.nz
- यदि आप कम या बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो वर्क एंड इनकम अन्य भाषाओं में जानकारी प्रदान करते हैं:
  - मंदारिन 0800 661 001
  - कैंटोनीज़ 0800 664 004
  - हिन्दी 0800 993 003
  - फारसी 0800 996 006
  - खमेर 0800 994 004
  - पंजाबी 0800 995 005